

तारीख हुक्म

25/11/24

हुक्मपत्र उच्च न्यायाधीशों की पेशी के अंतर्गत आती है। पत्रावली दि. 20/11/24 को पेश की गई।

20/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उच्च न्यायाधीशों के पास गए। पत्रावली में अनेक त्रुटियाँ हैं। अतः अन्तर्गत दि. 20/11/24 को पेश की गई पत्रावली में त्रुटियाँ सुधार करके दि. 20/11/24 को वादावली पेश की गई।

09/11/24

पत्रावली पेश हुई। पक्षीय वादी ने उच्च न्यायाधीशों के अंतर्गत श्री रामेश्वरलाल के दस्तावेजों के अंतर्गत विज्ञापित किए जाने के संबंध में पत्र लिखा। पक्षीय पत्र के अंतर्गत लिखा पत्र में वर्तन अनुसार पक्षीय के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः उच्च न्यायाधीशों के अंतर्गत उचित नहीं है। पक्षीय का पत्रावली तैयार किया जाता है। बाद में उच्च न्यायाधीशों के अंतर्गत पत्रावली पेश की जाती है। पत्रावली अंतर्गत नम्बर से कम होकर दाखिल किया है।

म.नी
Dr. Rinku
अध्यक्ष



उच्च न्यायाधीशों
नाम (विद्वान-पुस्तक)